

18/5

पत्रावली पत्र है। मृतकाना पत्नीको  
आइए पत्रावली काम कोर्ट/ लोक अदालत  
में दिनांक 6.6.18 को पेश हो।

एस डी ओ/ रीजि

6/18

पावनी कायम कोर्ट पुर में पेश हुई। काडीवादी  
का बाद डिक्री किया गया है निर्णय पुस्तक से  
श्राविक पावनी किया गया। पावनी को पुनः सुनाने  
होकर गन्धर्व से वाग डो तथा बाद कर्मागत को  
गन्धर्व से। एस

राजस्थान सरकार

( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

( न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम )

( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट ) कैम्प

पीठासीन अधिकारी श्री निखासिनी शीमा R.A.S

उपखण्ड दीपपुर उनवान अंगार  
बनाम अंगार

दावा बाबत:- 88, 89, 188 R.T. Act.

मुकदमा नम्बर:- 174/17

निर्णय दिनांक:- 6.6.2018

वादी की ओर से अशोक की व प्रतिवादी की ओर से अशोक

की उपस्थिति में आज तारीख 6.6.2018 को अशोक ( नाम पीठासीन अधिकारी ) के समक्ष अन्तिम

निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि -  
डिग्री क्रियर उक्त है कि अशोक को 500/0.2400 हेक्टेयर तक  
उक्त क्षेत्र का स्थलीय कोर्ट के अंतर्गत में प्रतिवादी ए. 1 के 18/57 भाग में है  
वादी को 3/4 भाग का स्वामित्व कायदा को संशोधित किया जा रहा है  
अपना-अपना खर्च के अंतर्गत अशोक को ( अशोक के अन्तर्गत का  
अपना-अपना खर्च करना है।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।  
यह आज तारीख 6.6.18 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

अशोक  
( निखासिनी शीमा R.A.S )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चें

वादी	प्रतिवादी
------	-----------